

25/8/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
पत्रावली से संबंधित मूल वाद में प्राथमिक
डिब्बी होने से प्रा. पत्र का कोई
कार्य नहीं है। प्रकरण में वि.

1/11/2019 को जारी आरुआई निषेधाज्ञा
की कार्यवाही को इसी स्तर पर
द्रष्ट किया जाता है। पत्रावली नंबर
रुआर दोकर नंबर से कम हो

उपप्रमुख अधिकारी
भदोसर, जिला - चित्तौड़गढ़